GCR's 2025/31?

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

...:– प्रहलाद पुत्र हनुमान जाति माली निवासी खानडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान।

बनाम्

...र्थीगण :– कान्ता देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति माली निवासी खानडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान वगै.।

...स्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या... 111/2025 सन्–2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
27.05.2025	प्रार्थी प्रहलाद पुत्र हनुमान जाति माली निवासी खानडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण कान्ता देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति माली निवासी खानडी तहसील मौलासर जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान वगै. जिला डीडवाना– कुचामन राजस्थान वगै. के पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री रणजीत बलारा को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, एकपक्षिय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद खानडी के खसरा नम्बर 687/325, 682/325 की भूमि पर मौके की यथा स्थिति बनाए रखेंगे एवं सरहद खानडी के खसरा संख्या 681/325, 682/325, 683/325, 684/325, 685/325, 686/325, 687/325, 324, 326 विकय/हस्तानान्तरण नहीं करेंगे एवं राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखेंगे। अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251, पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनाँक 25.06.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना	
25/6/25	पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 16/10/25 को पेश हो। ...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:23:17 IST
Reason: SelfAttested

12/9/2025

पत्रावली वकील प्रार्थी के आवेदन पर आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को बतौर विड्रॉल खारिज करवाना चाहा है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली बतौर विड्रॉल खारिज की जाकर फैसल शुमार होकर [illegible] जाती है।

[illegible]

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:23:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]